

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2613

उत्तर देने की तारीख- 16/12/2025

दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता

2613. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता (एडीआईपी) योजना के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत की गई, जारी की गई और उपयोग की गई कुल धनराशि राज्य-वार कितनी है;
- (ख) दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/लगाने के लिए सहायता (एडीआईपी) योजना के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
- (ग) इस योजना के अन्तर्गत विगत पांच वर्षों में दिव्यांगता के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रत्येक प्रकार की दी गई सहायता की वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या कितनी है; और
- (घ) क्या सरकार द्वारा सहायक यंत्रों/उपकरणों के वितरण में कोई कमी या विलंब देखा गया है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख) : सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों और उपकरणों के वितरण के लिए 'दिव्यांगजनों को सहायक यंत्र एवं उपकरण की खरीद/फिटिंग की सहायता के लिए (एडिप) योजना' लागू की जा रही है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के कारण, राज्य-वार निधियों का आवंटन नहीं होता है। तथापि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान उपयोग की गई राशि और लाभार्थियों की संख्या का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ग) विभिन्न दिव्यांगताओं के अंतर्गत लाभान्वित किए गए लाभार्थियों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार विवरण पाँच व्यापक समूहों में वर्गीकृत किया गया है तथा इसे **अनुबंध-II** में प्रस्तुत किया गया है।

(घ) इस विभाग के तहत सीपीएसई, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), नामक प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक है। यह निगम, एडिप योजना के तहत, विभिन्न माध्यमों से पात्र दिव्यांगजनों को गुणवत्तापूर्ण सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान करता है। सेवा वितरण को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक उपाय किए गए हैं-

(i) शिविरों का आयोजन संबंधित जिला प्रशासनों के साथ समन्वय में किया जाता है, ताकि निर्धारित समय-सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(ii) देश भर में लाभार्थियों को सहायक उपकरणों एवं यंत्रों तक निरंतर एवं स्थानीयकृत पहुंच उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रधान मंत्री दिव्याशा केंद्र (पीएमडीके) तथा एलिम्को के अधिकृत बिक्री और मरम्मत एजेंसी (एएएसआरए) स्थापित किए गए हैं।

(iii) विभाग द्वारा अर्जुन पोर्टल को शुरू किया गया है जहां लाभार्थी ऑनलाइन माध्यम से सहायक यंत्रों और उपकरणों के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

(iv) विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में वंचित क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाता है। एलिम्को ने दूरदराज के स्थानों में लाभार्थियों तक पहुंचने और निकटतम संभव स्थान पर योजना के लाभों को पहुंचाने के लिए पायलट परियोजना के तहत एक 'मोबाइल सेवा बैन' को चालू किया है।

इन उपायों का उद्देश्य 'अंतिम छोर तक' सहायक उपकरण पहुंचाने को सुदृढ़ करना और यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को समय पर कार्यकुशल सहायक उपकरण उपलब्ध हो जाएं।

अनुबंध-1

“दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए सहायता” के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा पूछे गए दिनांक 16.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2613 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

एडिप योजना के तहत पिछले पाँच वर्षों के दौरान लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या और उपयोग की गई निधियां			
क्र/सं.	राज्य का नाम	लाभार्थियों की संख्या	उपयोग की गई निधियां (करोड़ रुपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	680	0.38
2	आंध्र प्रदेश	48216	59.55
3	अरुणाचल प्रदेश	715	0.50
4	असम	55036	43.62
5	बिहार	55391	54.31
6	चंडीगढ़	1795	2.99
7	छत्तीसगढ़	7660	9.43
8	दिल्ली	16140	18.85
9	गोवा	2827	2.33
10	गुजरात	79126	71.63
11	हरियाणा	21483	29.80
12	हिमाचल प्रदेश	9315	6.93
13	जम्मू और कश्मीर	23181	18.42
14	झारखंड	33385	28.03
15	कर्नाटक	39373	33.36
16	केरल	18726	15.33
17	लद्दाख	544	0.44
18	लक्षद्वीप	272	0.20
19	मध्य प्रदेश	113964	132.20
20	महाराष्ट्र	134261	248.42
21	मणिपुर	2534	2.33
22	मेघालय	3477	2.55
23	मिजोरम	738	0.46
24	नागालैंड	1677	1.10
25	ओडिशा	61777	51.81
26	पुदुचेरी	1385	1.71
27	पंजाब	46407	62.43
28	राजस्थान	63393	57.05
29	सिक्किम	323	0.18
30	तमिलनाडु	56601	43.73
31	तेलंगाना	31311	47.17
32	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1108	1.03
33	त्रिपुरा	7731	5.78
34	उत्तर प्रदेश	207635	261.50
35	उत्तराखंड	21191	10.76
36	पश्चिम बंगाल	66291	48.88
	कुल योग	12,35,669	1375.19

“दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए सहायता” के संबंध में श्री बस्तीपति नागराजू द्वारा पूछे गए दिनांक 16.12.2025 के लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2613 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

(i) एसिड अटैक पीड़ित, प्रमस्तिष्क घात, कुष्ठ रोग उपचारित, गतिविषयक दिव्यांगता, मस्कूलर डिस्ट्रॉफी और छोटे कद/बौनापन सहित गतिविषयक दिव्यांगता के तहत शामिल लाभार्थियों (एनओबी) की राज्य-वार संख्या						
क्र.सं.	राज्य का नाम	एनओबी (2020-21)	एनओबी (2021-22)	एनओबी (2022-23)	एनओबी (2023-24)	एनओबी (2024-25)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	67	12	12	0	55
2	आंध्र प्रदेश	1,176	3,601	3,586	9,586	6,534
3	अरुणाचल प्रदेश	72	77	0	6	34
4	असम	6,437	2,873	7,885	9,784	5,936
5	बिहार	6,209	5,119	9,211	21,045	4,536
6	चंडीगढ़	154	72	160	103	436
7	छत्तीसगढ़	2,151	581	641	82	966
8	दिल्ली	595	1,710	1,148	1,890	3,019
9	गोवा	897	0	0	230	93
10	गुजरात	9,416	5,370	1,808	7,374	8,936
11	हरियाणा	983	2,559	3,585	3,974	2,655
12	हिमाचल प्रदेश	1,238	592	714	696	1,081
13	जम्मू और कश्मीर	1,476	2,623	4,146	2,720	1,536
14	झारखंड	1,079	2,983	5,686	3,627	5,381
15	कर्नाटक	1,461	2,742	2,312	7,543	5,699
16	केरल	365	71	681	2,761	484

17	लद्दाख	0	0	6	191	66
18	लक्षद्वीप	0	0	0	3	80
19	मध्य प्रदेश	13,597	16,042	9,354	25,126	11,068
20	महाराष्ट्र	10,476	14,920	4,989	32,836	11,979
21	मणिपुर	220	268	191	160	165
22	मेघालय	0	0	720	3	282
23	मिजोरम	0	24	1	21	136
24	नागालैंड	16	126	179	29	238
25	ओडिशा	8,351	6,480	4,994	6,823	8,812
26	पुदुचेरी	36	271	0	131	253
27	पंजाब	2,873	8,657	4,334	6,610	6,412
28	राजस्थान	8,633	6,075	6,157	15,315	11,566
29	सिक्किम	97	0	16	13	13
30	तमिलनाडु	4,397	7,247	5,293	5,920	1,257
31	तेलंगाना	1,519	2,829	803	4,710	5,075
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	163	61	109	22	145
33	त्रिपुरा	331	242	1893	681	339
34	उत्तर प्रदेश	26,810	18,269	20,442	37,858	42,161
35	उत्तराखंड	2,540	1,423	1,625	1,486	1,371
36	पश्चिम बंगाल	7,655	1,969	11,155	6,497	7,459
	कुल योग	1,21,490	1,15,888	1,13,836	2,15,856	1,56,258

(ii) कम दृष्टि और दृष्टिहीनता सहित दृष्टि बाधिता के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनओबी (2020-21)	एनओबी (2021-22)	एनओबी (2022-23)	एनओबी (2023-24)	एनओबी (2024-25)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	4	0	1
2	आंध्र प्रदेश	144	400	97	717	468
3	अरुणाचल प्रदेश	9	8	0	20	2
4	असम	507	299	900	1,151	774
5	बिहार	239	117	578	617	217
6	चंडीगढ़	0	0	119	14	167
7	छत्तीसगढ़	343	85	160	27	78
8	दिल्ली	2	55	608	177	1656
9	गोवा	115	0	0	26	38
10	गुजरात	1,533	1,875	751	1,660	1,376
11	हरियाणा	52	253	270	182	182
12	हिमाचल प्रदेश	11	91	99	62	151
13	जम्मू और कश्मीर	154	136	269	370	273
14	झारखंड	68	268	604	456	368
15	कर्नाटक	22	87	460	675	1422
16	केरल	23	5	113	472	56
17	लद्दाख	0	0	4	11	3

18	लक्षद्वीप	0	0	0	1	6
19	मध्य प्रदेश	1,232	1,330	838	1,549	708
20	महाराष्ट्र	1,530	2,828	1,777	5,166	2,000
21	मणिपुर	205	43	88	11	40
22	मेघालय	0	0	94	1	99
23	मिजोरम	0	1	0	1	41
24	नागालैंड	2	37	24	1	58
25	ओडिशा	617	445	729	619	998
26	पुदुचेरी	0	77	0	44	27
27	पंजाब	99	546	319	540	237
28	राजस्थान	141	70	682	500	1,309
29	सिक्किम	4	0	4	44	0
31	तमिलनाडु	967	978	906	1,103	448
31	तेलंगाना	68	32	152	284	355
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	13	3	6	3	63
33	त्रिपुरा	90	43	421	99	60
34	उत्तर प्रदेश	829	2,134	1,723	2,644	1,582
35	उत्तराखंड	2,684	2,839	1,289	466	386
36	पश्चिम बंगाल	468	115	945	413	429
	कुल योग	12,171	15,200	15,033	20,126	16,078

(iii) श्रवण बाधिता और वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता सहित श्रवण और वाक् दिव्यांगता के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनओबी (2020-21)	एनओबी (2021-22)	एनओबी (2022-23)	एनओबी (2023-24)	एनओबी (2024-25)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	45	36	1	78
2	आंध्र प्रदेश	550	954	2037	4579	2619
3	अरुणाचल प्रदेश	202	196	0	1	31
4	असम	1692	697	1064	3191	3829
5	बिहार	583	331	1776	1636	215
6	चंडीगढ़	0	49	110	37	124
7	छत्तीसगढ़	504	128	444	65	156
8	दिल्ली	32	379	223	877	497
9	गोवा	640	0	0	131	73
10	गुजरात	1288	1441	883	2768	2317
11	हरियाणा	309	850	946	650	570
12	हिमाचल प्रदेश	85	386	360	370	382
13	जम्मू और कश्मीर	341	1109	1978	1439	801
14	झारखंड	166	987	1919	1399	1866
15	कर्नाटक	320	1243	1636	3955	2717
16	केरल	884	1138	789	2696	555
17	लद्दाख	0	0	46	135	13

18	लक्षद्वीप	0	0	0	9	94
19	मध्य प्रदेश	1709	2904	2745	4293	1369
20	महाराष्ट्र	5999	7264	2724	12025	2722
21	मणिपुर	208	219	88	47	165
22	मेघालय	121	0	381	0	267
23	मिजोरम	0	39	0	272	164
24	नागालैंड	136	330	146	8	243
25	ओडिशा	1829	3122	1937	1789	3211
26	पुदुचेरी	26	219	0	91	47
27	पंजाब	1009	2843	934	1453	683
28	राजस्थान	229	339	1814	2150	1535
29	सिक्किम	71	4	29	2	2
30	तमिलनाडु	1243	3493	2686	2808	445
31	तेलंगाना	495	887	343	2226	1918
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	52	16	44	10	66
33	त्रिपुरा	264	278	997	346	203
34	उत्तर प्रदेश	2766	6527	4687	5651	4134
35	उत्तराखंड	908	1317	855	332	400
36	पश्चिम बंगाल	2585	2637	8502	2169	4684
	कुल योग	27,246	42,371	43,159	59,611	39,195

(iv) ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता और विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता सहित बौद्धिक दिव्यांगता के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनओबी (2020-21)	एनओबी (2021-22)	एनओबी (2022-23)	एनओबी (2023-24)	एनओबी (2024-25)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	95	88	103	0	65
2	आंध्र प्रदेश	788	5273	2006	2499	399
3	अरुणाचल प्रदेश	6	19	0	12	14
4	असम	729	785	1692	2857	616
5	बिहार	202	169	1578	430	102
6	चंडीगढ़	133	6	32	3	19
7	छत्तीसगढ़	317	95	527	135	138
8	दिल्ली	11	796	42	245	297
9	गोवा	509	24	0	23	14
10	गुजरात	1411	6565	1547	6546	12093
11	हरियाणा	195	239	1115	924	227
12	हिमाचल प्रदेश	1115	200	709	616	73
13	जम्मू और कश्मीर	379	252	488	2227	141
14	झारखंड	52	919	2587	2168	445
15	कर्नाटक	378	709	1187	3421	830
16	केरल	3893	1187	1296	419	228
17	लद्दाख	0	0	3	5	9

18	लक्षद्वीप	0	0	0	1	56
19	मध्य प्रदेश	4782	4160	6877	1852	564
20	महाराष्ट्र	1582	5034	1284	3652	2134
21	मणिपुर	27	42	193	14	58
22	मेघालय	30	212	1118	38	108
23	मिज़ोरम	0	3	1	4	12
24	नागालैंड	9	3	28	10	16
25	ओडिशा	1440	1672	2438	1647	1613
26	पुदुचेरी	8	45	0	23	36
27	पंजाब	74	2718	2385	2568	724
28	राजस्थान	1266	282	1428	1709	765
29	सिक्किम	0	0	14	1	1
30	तमिलनाडु	1750	9830	2423	2342	206
31	तेलंगाना	585	1774	946	3762	1570
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	56	6	72	14	169
33	त्रिपुरा	39	316	891	23	122
34	उत्तर प्रदेश	560	6506	8175	1820	5685
35	उत्तराखण्ड	9	265	483	143	217
36	पश्चिम बंगाल	1019	438	3577	1160	1380
	कुल योग	23,449	50,632	47,245	43,313	31,146

(v) गंभीर स्नायु संबंधी विकार (क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन), हीमोफिलिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस रोग, सिक्कल कोशिका रोग और थैलेसीमिया सहित अन्य दिव्यांगताओं के तहत शामिल किए गए लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनओबी (2020-21)	एनओबी (2021-22)	एनओबी (2022-23)	एनओबी (2023-24)	एनओबी (2024-25)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	2	0	20
2	आंध्र प्रदेश	0	28	0	132	96
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	1	8
4	असम	343	246	68	369	363
5	बिहार	0	215	0	188	105
6	चंडीगढ़	14	1	1	6	36
7	छत्तीसगढ़	1	2	0	11	31
8	दिल्ली	26	1274	99	111	404
9	गोवा	0	0	0	9	7
10	गुजरात	0	1	74	324	1927
11	हरियाणा	0	171	21	205	381
12	हिमाचल प्रदेश	110	3	53	65	73
13	जम्मू और कश्मीर	40	9	0	70	220
14	झारखंड	0	40	8	97	227
15	कर्नाटक	0	48	43	166	350
16	केरल	16	41	36	455	105
17	लद्दाख	0	0	0	13	39
18	लक्षद्वीप	0	0	0	1	25

19	मध्य प्रदेश	27	617	144	775	439
20	महाराष्ट्र	2	27	63	816	519
21	मणिपुर	0	22	23	27	18
22	मेघालय	0	0	0	0	26
23	मिजोरम	0	0	0	7	22
24	नागालैंड	0	0	3	0	40
25	ओडिशा	533	336	109	358	952
26	पुदुचेरी	8	0	0	13	32
27	पंजाब	0	51	34	90	223
28	राजस्थान	224	727	53	217	259
29	सिक्किम	1	0	4	1	2
30	तमिलनाडु	50	198	118	538	143
31	तेलंगाना	0	460	78	434	100
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	1	0	2	0	15
33	त्रिपुरा	0	9	27	5	65
34	उत्तर प्रदेश	1435	261	136	2102	1355
35	उत्तराखंड	0	10	5	87	87
36	पश्चिम बंगाल	240	0	10	147	730
	कुल योग	3071	4797	1214	7840	9444
